न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 34 / 2024	12–06–2024	31–07–2024

1– सरकार जर्ये प्रर्वतन निरीक्षक, मुख्यालय अलवर, हाल जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

2– सूरज यादव पुत्र राममनोज निवासी उच्चवा, थाना संत कबीर नगर, गोरखपुर उत्तर–प्रदेश हाल निवासी सेक्टर 4 ए – 33 यू. आई. टी भिवाडी तहसील तिजारा हाल टपूकडा जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितः–

1–विभागीय प्रतिनिधि	जिला रसद अधिकारी
2– अप्रार्थी	बावजुद सूचना अनुपस्थित

––:: निर्णय ::––

प्रर्वतन निरीक्षक, मुख्यालय अलवर, हाल जिला रसद अधिकारी खैरथल– तिजारा (राजस्थान) द्वारा दिनाक 19.05.2018 को घरेलू गैस सिलेण्ड़रो के अवैध परिवहन कर दुरूपयोग की जॉच हेतु मौके पर पुलिस थाना फूलबाग भिवाडी पहुचा। थाना परिसर में लाया गया एक टेम्पु संख्या एच.आर.– 47 सी – 3345 जिसमें कुल 40 गैस सिलेण्डर धरेलू उपयोग क्षमता 14.2 किग्रा अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर थाना परिसर में लाया गया। थाना परिसर में खडे टेम्पू एवं उसमे रखे सिलेण्डरो के साथ वाहन चालक सूरज यादव पुत्र राममनोज निवासी उच्चवा, थाना संत कबीर नगर, गोरखपुर उत्तर– प्रदेश हाल निवासी सेक्टर 4 ए – 33 यू. आई. टी भिवाडी तहसील तिजारा हाल टपूकडा जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा (राजस्थान) उपस्थित मिला मौके पर सफेद रंग का टेम्पो जिस पर विश्वकर्मा वेल्डिग वर्क्स व बास गांव रामगर धारूहेडा लिखा हुआ था। जिसमें पिछे से फाटक के उपर एक ओर फाटक लगा हुआ मिला। टेम्पो के अन्दर तलाश करने पर इसमें लाल रंग के 40 गैस सिलेण्डर जो घरेलू उपयोग के पाये गये। व सभी पर सील लगी हुई पाई गयी। टैम्पू चालक सूरज यादव द्वारा उक्त सिलेण्डर के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। सूरज

यादव द्वारा बताया कि वह उक्त 40 घरेलू गैस सिलेण्डर (इण्डेन कम्पनी के) धारूहेडा से भिवाडी में सप्लाई करने हेतु ला रहा था, उक्त सिलेण्डरो के उसके पास कोई दस्तावेज नही है। इस प्रकार टैम्पो चालक सूरज यादव पुत्र राममनोज द्वारा गैस सिलेण्डरो का अवैध परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहैलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंधन होने के कारण उक्त भरे हुये 40 घरेलू गैस सिलेण्डर एल.पी.जी. (क्षमता 14.02 किग्रा) को मै0 एन. सी. आर. इंडेन गैस एजेंसी भिवाडी के प्रतिनिधि कैलाश कुमार शर्मा को सुरक्षा की द्वष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। तथा टैम्पू संख्या एच. आर. 47 सी 3345 को जप्त कर थाना फूलबाग भिवाडी के मालखाना इंर्चाज महेन्द्र कुमार एच.सी. –1595 को सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि प्रकरण में जप्त शुदा 40 घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) भरे हुये सीलशुदा मय गैस तथा टैम्पू संख्या एच. आर. 47 सी 3345 को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी बावजुद सूचना के उपस्थित नही है।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि 19.05.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध परिवहन कर दुरूपयोग की जॉच हेतु मौके पर पुलिस, थाना फूलबाग भिवाड़ी पहुचा। थाना परिसर में लाया गया एक टेम्पु संख्या एच.आर.– 47 सी – 3345 जिसमें कुल 40 गैस सिलेण्डर धरेलू उपयोग क्षमता 14.2 किग्रा अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर थाना परिसर में लाया गया। थाना परिसर में खडे टेम्पू एवं उसमे रखे सिलेण्डरो के साथ वाहन चालक सूरज यादव मिला मौके पर टेम्पो के अन्दर तलाश करने पर इसमें लाल रंग के 40 गैस सिलेण्डर जो घरेलू उपयोग के पाये गये। व सभी पर सील लगी हुई पाई गयी। टैम्पू चालक सूरज यादव द्वारा उक्त सिलेण्डर के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। उक्त सिलेण्डरो के उसके पास कोई दस्तावेज नही है। इस प्रकार टैम्पो चालक सूरज यादव द्वारा गैस सिलेण्डरो का अवैध परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहैलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में जप्त शुदा 40 घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) भरे हुये सीलशुदा मय गैस तथा टैम्पू संख्या एच. आर. 47 सी 3345 को राजसात किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विभागीय प्रतिनिधी की बहस का मनन किया। प्रकरण मे विभागीय प्रतिनिधी द्वारा दिनाक 19.05.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध परिवहन कर दुरूपयोग की जॉच हेतु मौके पर पहुचकर पुलिस थाना फूलबाग भिवाडी में टेम्पु संख्या एच.आर.– 47 सी – 3345 जिसमें कुल 40 गैस सिलेण्डर धरेलू उपयोग क्षमता 14.2 किग्रा अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर टैम्पू चालक सूरज यादव द्वारा उक्त सिलेण्डर के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर टैम्पो चालक सूरज यादव द्वारा गैस सिलेण्डरो का अवैध परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहैलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में जप्त शुदा 40 घरेलू गैस

सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) भरे हुये सीलशुदा मय गैस तथा टैम्पू संख्या एच. आर. 47 सी 3345 को जप्त कर कार्यवाही की गयी है। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रकरण में विधिवत जॉच कर विधिसम्मत कार्यावाही की गयी है। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सरकार जर्ये प्रर्वतन निरीक्षक, मुख्यालय अलवर, हाल जिला रसद अधिकारी खैरथल– तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 40 घरेलू गैस सिलेण्डर एल.पी.जी. (क्षमता 14.2 कि.ग्रा.) को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है, साथ ही आदेश दिए जाते हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डर जो मै0 एन. सी. आर. इंडेन गैस एजेंसी भिवाडी के प्रतिनिधि कैलाश कुमार शर्मा को सुरक्षा की द्वष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया है, से वापिस प्राप्त कर निर्णयनुसार विधिवत निस्तारण किया जावे एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उक्त पारित निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)